उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001
फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 12438/18 दिनांक 31/12/18

सेवा में,

डा0 अभिषेक यादव,
निदेशक,
राज नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कालेज,
जंगल अहमद अली शाह, तुर्रा बाजार,
पिपराईच रोड, गोरखपुर।

विषय–ऑन–लाईन इनरोलमेन्ट पैनल बन्द किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र दिनॉक 22.10.2018 के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–10793 / 18 दिनॉक 20.11.2018 कारण बताओं नोटिस का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

आज दिनॉक 31.12.2018 जो कि ऑन–लाईन इनरोलमेन्ट की अन्तिम तिथि है, तक कोई भी स्पष्टीकरण आपके स्तर से नहीं दिया गया है और ना ही पत्र में उल्लिखित सूचनायें अभी तक उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है, जो कि नियामक संस्था इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली तथा परीक्षक संस्था / नियमन करने वाली संस्था राज्य सरकार / उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा निर्धारित शर्तो / आदेशों / निर्देशों की घोर अवहेलना है। जिसकी वजह से आपके संस्थान में नियुक्त टीचिंग फैकल्टी इत्यादि का सत्यापन तथा सम्बद्धता शुल्क व वैधता विस्तारण शुल्क न जमा होने के कारण संस्थान की सम्बद्धता विस्तारित नहीं की गयी है और छात्रों के प्रवेश हेतु इनरोलमेन्ट पैनल नियमानुसार नहीं खोला जा सका।

अतः उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी / उ0प्र0 शासन / इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के लगातार किये जा रहे उल्लंघन / अवहेलना के दृष्टिगोचर आपके संस्थान की सम्बद्धता विस्तारित नहीं की जा सकी है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपकी संस्था का होगा।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

पत्र संख्या– दिनॉक–

प्रतिलिपि – प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।